समक्ष:- माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर

1. रामचरन वल्द दरउआ लोधी
दुलीचंद फौत वारिस
2. पूरन वल्द दुलीचंद लोधी
3. बिहारी वल्द दुलीचंद लोधी
4. चतरा वल्द मोहन लोधी
5. फुल्ले वल्द मोहन लोधी
सभी निवासी-ग्राम बड़ाखेरा पुटवारी तहसील बड़ामलहरा
जिला छतरपुर ... पुनरीक्षणकर्ता

।। विरुद्ध ।।

1. जशरथ सींग वल्द पृथ्वी सींग ठाकुर
2. रतिराम वल्द मुन्ना लोधी
3. चन्द्रभान वल्द रज्जू लोधी
4. भानसिंह वल्द रज्जू लोधी
सभी निवासी-ग्राम बड़ाखेरा पटवारी तहसील बड़ामलहरा
जिला छतरपुर ...उत्तरवादीगण

पुन.प्र.क्रं.

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.संहिता:

पुनरीक्षणकर्तागण निम्न प्रार्थना करते हैं:-

पुनरीक्षणकर्तागण ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा जिला छतरपुर द्वारा राजस्व अपील प्र0क्रं0122अ/13-14 में पारित आदेश दिनांक 6.10.16 से परिवेदित होकर निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

।। पुनरीक्षण के आधार ।।

1. यह कि, माननीय अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.10.16 गलत आधारहीन एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारीके समक्ष दिनांक 15.2.15 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि इस वादभूमि से संबंधित सिविल रिवीजन क्र.318/15 माननीय

..2..

Xx :ix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 4083-एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अधि. आदि के हस्ता.
31.1.17	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 122 /2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-10-16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राहयत्ा पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त जमीन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 3-9-15 को स्थगन जारी हुआ है जिसके प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा से आग्रह किया गया था कि वह मान.उच्च न्यायालय के आदेश के कारण प्रकरण की कार्यवाही रोक दें, किन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुये प्रकरण साक्ष्य में नियत करने की भूल की है। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 122 /2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6-10-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 9-9-16 को प्रकरण में अंतिम तर्क सुनकर आदेश हेतु नियत किया था किन्तु मामला कब्जे के विवाद का संज्ञान में आने के कारण उन्होंने प्रकरण में उभय पक्ष की साक्ष्य लेना उचित समझा है। जहॉ तक माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने का प्रश्न है ? माननीय उच्च न्यायालय	

के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण आवेदक माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा व्दारा प्रकरण कमांक 122 /2013-14 अपील में की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं है। परिणाम-स्वरूप निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य